

समय पर सेवाएं नहीं देने वाले 48 आइएएस व चार आइपीएस समेत 365 से जवाब तलब सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने सार्वजनिक की वार्षिक रिपोर्ट

- सात आइएएस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश, 24 एचसीएस अधिकारी भी निशाने पर
- हरियाणा के सेवा का अधिकार आयोग ने अधिकारियों को बनाया जनता के प्रति जवाबदेह

राज्य ब्यूरो, जम्मू • चंडीगढ़: हरियाणा के सेवा का अधिकार आयोग (राइट टू सर्विस कमीशन) ने अधिकारियों व कर्मचारियों को जनता की समस्याओं के समाधान के प्रति जवाबदेह बनाया है। सेवा का अधिकार आयोग ने 53 सरकारी विभागों की 803 सेवाओं को समय सीमा में बंधते हुए अधिकारियों को न केवल समय से काम करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि काम नहीं करने वाले अधिकारियों से जवाब भी मांगा है। प्रदेश को जनता को समय से सेवाएं उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर आयोग की देखी निगाह बनी हुई है।

हरियाणा के सेवा का अधिकार आयोग ने करीब डेढ़ साल में सात आइएएस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश राज्य सरकार के समक्ष की है। इन आइएएस अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अपीलेंट अधारिटी के रूप में ठीक काम नहीं किया। इसके अलावा आयोग ने 48 आइएएस और चार आइपीएस अधिकारियों को काम में लापरवाही बरतने का आरोपित पाया है, जिसका पूरा रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई है। उन्हें नाम के साथ चेतावनी और सलाह जारी की गई है।

हरियाणा के सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त रिटायर्ड आइएएस टीसी गुप्ता ने शुक्रवार को



चंडीगढ़ में हरियाणा के सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त रिटायर्ड आइएएस टीसी गुप्ता साल 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हुए। उनके साथ हैं आयोग की सचिव डा. सरिता मलिक और अंडरसेक्रेटरी कम रजिस्ट्रार सूखे खान। ● डीबीआर

टीसी गुप्ता ने जताई लापरवाह अफसरों को चार्जशीट की जरूरत

मुख्य आयुक्त ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सेवा का अधिकार आयोग को प्रभावी बनाने के लिए उसकी सिफारिशों, अनुरोध और संस्तुतियों पर राज्य सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। टीसी गुप्ता ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को चार्जशीट भी कर सकती है। इससे अधिकारियों में समय से काम पूरा करने की संस्कृति अधिक तेजी से विकसित होगी। टीसी गुप्ता के अनुसार उनका कार्यकाल चार दिन बाद पूरा हो रहा है। इसके बाद नये मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की तुरंत नियुक्तियां होनी चाहिए, वरना इसका नुकसान प्रदेश की जनता को उठाना पड़ सकता है।

मोबाइल ऐप से होंगी समस्याएं हल

आयोग ने शुक्रवार को जनता की सुविधा के लिए वाट्सएप चैटबॉट और मोबाइल ऐप की शुरुआत की। वाट्सएप चैटबॉट और मोबाइल एप्लीकेशन एएस (आस) के माध्यम से नागरिक अब अपील दायर करने, उसकी स्थिति जानने तथा सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में अधिक सुविधा महसूस करेंगे। "सेवाएं आपकी अंगुलियों पर, कभी भी, कहीं भी" अवधारणा के तहत यह पहल डिजिटल माध्यम से त्वरित सहायता प्रदान करेंगी। नागरिक इस चैटबॉट का उपयोग वाट्सएप नंबर 6239466937 पर संदेश भेजकर कर सकते हैं।

सेवा से संतुष्ट नहीं तो सरल पोर्टल पर अपील करें

● मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता के अनुसार यदि किसी नागरिक की अधिसूचित सेवा तय समयसीमा में पूरी नहीं होती, तो अपील स्वतः दर्ज हो जाती है। नागरिक को इसके लिए जिला मुख्यालय, विभागीय कार्यालय या चंडीगढ़ के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहती।
● यदि नागरिक सेवा से असंतुष्ट हो, तो वह स्वयं सरल पोर्टल के माध्यम से अपील कर सकता है। इसके अतिरिक्त अंत्योदय सरल हेल्पलाइन (0172-3968400) पर काल कर भी अपील दर्ज करवाई जा सकती है।

● वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सरल प्लेटफॉर्म पर अधिसूचित सेवाओं के लिए 2.06 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से लगभग 1.95 करोड़ आवेदन (94.71 प्रतिशत) निर्धारित समयसीमा के भीतर निपटाए गए।
● 9.63 लाख आवेदन विलंबित रहे, जिनमें 1.25 लाख आवेदन 31 मार्च 2026 तक प्रक्रिया में लंबित थे।
● एएस (आस) पर अब तक 28.5 लाख से अधिक अपीलें प्राप्त हो चुकी हैं और इनमें 98 प्रतिशत से अधिक मामलों का निपटान किया जा चुका है।

साल 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए यह जानकारी साझा दी। कुल 365 अधिकारियों व कर्मचारियों को काम में लापरवाही का आरोपित पाते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को लिखा गया है। इनमें 24 एचसीएस और चार एचपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। इनके अलावा, सीए-जेई-

एसडीओ-एक्सईएन और एई स्तर के 205 अधिकारियों को काम में लापरवाही का दोषी पाने पर चेतावनी व एडवाइजरी जारी हुई है।

टीसी गुप्ता के अनुसार हरियाणा के सेवा का अधिकार आयोग की पूरे देश में पहचान है। चंडीगढ़, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर, वदरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव ने हरियाणा की

सर्वश्रेष्ठ प्रैक्टिस को अपनाने की पहल की है। आयोग ने 50 ऐसी सेवाओं को डी-नोटिफाई करवाया है, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं थी, बल्कि किसानों व विद्यार्थियों के हित की सेवाओं को समयबद्ध सेवाओं में जोड़ा गया है।

आयोग ने आठो अपील सिस्टम एक सितंबर 2021 को अपनाया था, जिस समय मनोहर लाल मुख्यमंत्री

थे। मौजूद मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी इस सिस्टम को लगातार जनोन्मुखी बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हरियाणा की यह प्रणाली अब राष्ट्रीय स्तर पर भी एक माडल के रूप में उभर रही है। भारत सरकार की डी-रेगुलेशन इनिशिएटिव में इसे प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है।